राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1678/2025

भगवान सहाय यादव

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुनित सिंघवी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी प्रथम के पद पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति मुण्डावर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण कोषालय, खैरथल, खैरथल–तिजारा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के हाथ में निशक्तता है। जिस कारण से अपीलार्थी की निशक्तता 50 प्रतिशत आंकी गई है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। जहां तक अपीलार्थी की स्थायी निशक्तता का

संबंध है तो अपीलार्थी इस संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आलोच्य आदेश में हम विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)